भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +3573

सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021/29 अग्रहायण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन उद्योग को सुदृढ़ करने हेतु आईआरसीटीसी के साथ समझौता

+3573. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भारतीय आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में सामरिक और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ङ) कोरोना वायरस महामारी के कारण हुए भारी नुकसान के बाद आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या आवश्यक कदम उठाए गए है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) से (घ) जी, हां महोदय । पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन के संवर्धन और विपणन में सहयोग करने तथा इस उद्देश्य के लिए प्रयासों में तालमेल विकसित करने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

पर्यटन मंत्रालय, भारत का समग्र रूप से संवर्धन करता है। अपनी चल रही गतिविधियों के हिस्से के रूप में, यह देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत विदेशों में महत्वपूर्ण और संभावित बाजारों में वैश्विक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है। मंत्रालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया खातों के माध्यम से भी प्रचार किया जाता है।

(ड़) कोरोना वायरस महामारी के बाद आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य आवश्यक कदम निम्नलिखित हैं: -

(i) गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू) के कोविड संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन पर्यटन उद्देश्यों के लिए

भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों के लिए प्रतिबंध में ढील दी है। ई-पर्यटक वीजा/पर्यटक वीजा पूरी तरह से उन सभी एकल विदेशी नागरिकों के लिए बहाल कर दिया गया है जो पर्यटन उद्देश्यों के लिए भारत आने का इरादा रखते हैं। प्रारंभ में 15 नवंबर, 2021। से, ई-पर्यटक/पर्यटक वीजा 30 दिनों की वैधता के साथ जारी किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पहले 500,000 मुफ्त वीजा की घोषणा की है

(ii) घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास योजना (एमडीए): पर्यटन मंत्रालय ने योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए नवंबर 2020 में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, हितधारकों को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पर्यटन विभाग भी अब इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(iii) कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी(एलजीएससीएटीएसएस) योजना :

पर्यटन क्षेत्र को राहत प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 28.06.2021 की घोषणा के अनुसार, पर्यटन मंत्रालय ने "कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्रके लिए ऋण गारंटी योजना(एलजीएससीएटीएसएस)" लागू की है। इस ऋण गारंटी योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंट/पर्यटन परिवहन ऑपरेटरों के लिए ऋण 10.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/ राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश प्रशासन से अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्षेत्रीय पर्यटक गाइड/अतुल्य भारत पर्यटक गाइड और पर्यटक गाइड को 1.00 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जा सकेंगे ।

पर्यटन मंत्रालय के एलजीएससीएटीएसएस का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपर्युक्त लाभार्थियों को प्रदान किए गए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना है, ताकि उनकी देनदारियों का निर्वहन किया जा सके और कोविड -19 महामारी के कारण प्रभावित उनके व्यवसाय को फिर से शुरू किया जा सके।

उक्त योजना की वैधता 31.03.2022 तक या 250.00 करोड़ रूपए की गारंटी जारी होने तक है। जो भी पहले हो और 31.03.2022 तक राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा एलजीएससीएटीएसएस दिशानिर्देश जारी करने के 04.10.2021 को या उसके बाद योजना के तहत स्वीकृत सभी पात्र ऋणों पर लागू होगा। योजना के तहत प्रदान की गई क्रेडिट सुविधाओं के लिए एनसीजीटीसी द्वारा साहूकार संस्थानों (एमएलआई) से कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

****

अनुबंध

पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए आईआरसीटीसी के साथ समझौते के संबंध में दिनांक 20.12.2021 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या +3573 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को इसके बाद क्रमशः पहली पार्टी और दूसरी पार्टी के रूप में संदर्भित किया गया है।

पर्यटन के संवर्धन और विपणन के लिए सहयोग करने की इच्छा रखते हुए और इस उद्देश्य के लिए प्रयासों में तालमेल विकसित करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, निम्नलिखित समझौता किया है:

I. आईआरसीटीसी महाराजा एक्सप्रेस और बौद्ध सर्किट पर्यटक ट्रेन में उपलब्धता के अधीन पर्यटन मंत्रालय को निम्नलिखित संख्या में मानार्थ यात्राएं प्रदान करेगा:
   i. महाराजा एक्सप्रेस - 30 व्यक्ति प्रति वर्ष
   ii. बौद्ध सर्किट पर्यटक ट्रेन- 30 व्यक्ति प्रति वर्ष प्रथम एसी में

किसी भी ट्रेन में यात्रा पर एक बार में अधिकतम 4 व्यक्तियों के लिए स्थान दिया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आधिकारिक तौर पर नामांकन की सलाह दी जाएगी

II. आईआरसीटीसी निम्नलिखित प्रदान करेगा:

i. आईआरसीटीसी की रेल पर्यटन वेबसाइटों पर www.irctctourism.com, www.irctc.co.in, www.irctcbuddhisttrain.com and www.the-maharajas.com पर पर्यटन मंत्रालय की प्रचार वेबसाइट www.incredibleindia.org का लिंक कराएगा।

ii. आईआरसीटीसी पर्यटन मंत्रालय की प्रचार वेबसाइट www.incredibleindia.org को अपने प्रचार ब्रोशर और पोस्टर में शामिल करेगा।

iii. ट्रेन में यात्रा करने वाले पर्यटकों को देश के अन्य गंतव्यों को प्रदर्शित करने के लिए आईआरसीटीसी पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए अतुल्य भारत के पोस्टर बौद्ध सर्किट पर प्रदर्शित करेगा।

iv. आईआरसीटीसी के साथ यात्रा करने वाले पर्यटकों को पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई अतुल्य भारत प्रचार सामग्री का वितरण।

v. पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से नए पर्यटन उत्पादों का विकास और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में संयुक्त रूप से इसका संवर्धन करना।

vi. एडीटीओआई, आईएटीए, आईएटीओ, होटल एसोसिएशन आदि जैसे हितधारकों के साथ आयोजित बैठकों, सेमिनारों, वेबिनार और कार्यक्रमों में आईआरसीटीसी की भागीदारी।

vii. अतुल्य भारत लोगो और अतुल्य भारत वेबसाइट (www.incredibleindia.org) प्रदर्शित करने के लिए आईआरसीटीसी की सभी पर्यटन प्रचार सामग्री।

viii. आईआरसीटीसी अपनी सभी प्रचार सामग्री और आईआरसीटीसी की सभी वेबसाइटों पर अतुल्य भारत पर्यटक हेल्पलाइन नंबर 1800-11-1363 / शॉर्ट कोड- 1363 का प्रचारकरेगा

ix. आईआरसीटीसी उत्तर पूर्वी क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर पर विशेष ध्यान देने के साथ विश्वविद्यालय, स्कूलों और कॉलेजों के लिए शैक्षिक भ्रमण प्रदान करेगा।

x. आईआरसीटीसी पर्यटन मंत्रालय द्वारा डिलिवरेबल्स की प्राप्ति को सक्षम करने के लिए पहले के समझौता ज्ञापन में दिए गए मार्ग की वैधता को एक और वर्ष तक बढ़ाएगा ।

I. पर्यटन मंत्रालय आईआरसीटीसी को निम्नलिखित प्रदान करेगा:

i. पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर आईआरसीटीसी पर्यटन वेबसाइट www.irctctourism.com से लिंक पगदान करेगा।

ii. आईटीबी बर्लिन, फितुर स्पेन और डब्ल्यूटीएम लंदन में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत मंडप में आईआरसीटीसी को 8 वर्ग मीटर का मानार्थ स्थान और तीन (3) अतिरिक्त यात्रा शो में जहां पर्यटन मंत्रालय भाग लेता है आईआरसीटीसी की पसंद के अनुसार 4 वर्ग मीटर का मानार्थ स्थान।

iii. घरेलू बाजार और विदेशों में महत्वपूर्ण स्रोत बाजारों में पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे रोड शो में आईआरसीटीसी की भागीदारी।

iv. विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों में (आईआरसीटीसी फोटो/ प्रचार फिल्म प्रदान करने के लिए) पर्यटन मंत्रालय और उसके विदेशी कार्यालयों द्वारा की गई प्रस्तुतियों में आईआरसीटीसी की लक्जरी और अन्य ट्रेनों की प्रासंगिक फोटो / प्रचार फिल्म को शामिल करना।

v. घरेलू और विदेशी भारतपर्यटन कार्यालयों के माध्यम से आईआरसीटीसी की प्रचार सामग्री का वितरण।

vi. पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट www.incredibleindia.org में आईआरसीटीसी 24×7 संपर्क यानी 1800110139 को शामिल करना।

vii. आईआरसीटीसी पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट और अन्य प्रचार वेबसाइट से लिंक प्रदान करेगा ।

viii. जब भी आईआरसीटीसी की टीम महाराजा एक्सप्रेस और बौद्ध सर्किट टूरिस्ट ट्रेन के विपणन के लिए विभिन्न देशों का दौरा करती है, तो एजेंटों के साथ बैठकों और नेटवर्किंग के आयोजन में विदेशों में पर्यटन मंत्रालय के पर्यटन कार्यालयों द्वारा सहायता। यह संबंधित विदेशी कार्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता के अधीन होगा। उपरोक्त के लिए एमओटी से कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

ix. केंद्र और राज्य सरकारों जैसे पर्यटन, पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा आदि जैसे मंत्रालय से जुड़े प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में पर्यटन मंत्रालय द्वारा आईआरसीटीसी की सहायता।

x. इस एमओयू की वैधता इस एमओयू पर हस्ताक्षर होने की तारीख से दो साल के लिए होगी।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि : 13.09.2021

स्थान : नई दिल्ली

****